



जीविका

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष: +91-612-250 4980, फ़ैक्स: +91-612-250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-M&E/1551/19/VOL-II/759

दिनांक : 01.07.2021

प्रेषक :

ब्रज किशोर पाठक
विशेष कार्य पदाधिकारी
जीविका, बिहार

सेवा में,

सभी जिला परियोजना प्रबंधक
जीविका, बिहार

विषय: फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 माह के दौरान सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित परिवारों के प्रोफाइल का एम.आई.एस. में संधारण करने के संबंध में।

महाशय,

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत पूर्व में जीविका के ग्राम संगठनों के स्तर से सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप अत्यंत निर्धन परिवारों के चयन हेतु निम्नांकित कार्यालय आदेश निर्गत किए गए थे :

- 1) BRLPS/Proj-SJY/1552/19/2820 दिनांक-02.01.2021 (चयनित 128 प्रखंडों में 01 फरवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 के बीच अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन)
- 2) BRLPS/Proj-SJY/1552/19/3536 दिनांक-20.02.2021 (सतत् जीविकोपार्जना योजना अंतर्गत चयनित सभी प्रखंडों में ताड़ी/देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों का 22 फरवरी 2021 से 05 मार्च 2021 के बीच चयन)
- 3) BRLPS/Proj-SJY/1552/19/ 3579 दिनांक-20.02.2021 (चयनित 128 प्रखंडों में 01 फरवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 के बीच चल रहे अत्यंत निर्धन परिवारों के चयन ड्राइव का 05 मार्च 2021 तक अवधि विस्तार)
- 4) BRLPS/Proj-M&E/1551/19/4025 दिनांक-24.03.2021 (बिहार राज्य के सभी 534 प्रखंडों में ताड़ी/देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के अत्यंत-निर्धन परिवारों का 05 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2020 के बीच चयन)

जीविका ग्राम संगठनों द्वारा लक्षित परिवारों के चयन के पश्चात् बी.पी.आई.यू. द्वारा समानांतर जाँच कर चयनित परिवारों के प्रोफाइल का एम.आई.एस. में संधारण किया जाना है।

संबन्धित जिला परियोजना प्रबन्धकों / प्रभारी से अनुरोध है कि वे सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित सभी परिवारों के प्रोफाइल की एम.आई.एस. में गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टि करें। कार्य की महत्ता को देखते हुये इसे 15 जुलाई 2021 तक पूर्ण कर लिया जाए।


1.7.2021.

(ब्रज किशोर पाठक)

विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि :

1. सभी जिलों के जिला परियोजना प्रबन्धक, एस.जे.वाई. नोडल एवं बी.पी.एम.
2. एस.जे.वाई. राज्य इकाई के सभी सदस्य
3. संबन्धित संचिका